

10.1.2018


कृलायै फरीकैन उपस्थित । बहस विद्वान अभिभाषक
गणों की सुनी गई ।

अपील संख्या
80/2011

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि
वादीगण/प्रतिवादी सं०-1 से 7 ने अदालत मातहत
में दावा घोषणार्थ एवं बंटवारा का पेशा कर निवेदन
किया कि आराजी खसरा नं० 351 रकबा 2.11 हैक्टर
राजस्व ग्राम मण्डेला एवं ख०नं० 87 रकबा 3.91 हैक्टर
राजस्व ग्राम महती की टाणी वादीगण एवं प्रति-
वादीगण के कब्जे कायत एवं खातेदारी की भूमियां
हैं । जिनका वादीगण को खातेदार कायतकार घोषित
कर बंटवारा किया जाकर अलग खाता कायस किया
जावे । अदालत मातहत ने वादीगण का दावा बाद
सुनवाई स्वीकार कर लिया । जिससे धुब्ध होकर
अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय
खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट
के खातेदारी कायतकारी टीनेन्सी की पैतृक भूमि
वाके ग्राम मण्डेला में ख०नं० 351 रकबा 2.11 हैक्टर
अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट के पूर्वजों की पैत्रिक भूमि है
रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 7 ने अदालत मातहत में झूठे
एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के
खातेदारी टीनेन्सी पैतृक हकों से वंचित करते हुये एक
दावा पेशा किया जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं
बनाया । अदालत मातहत ने रेस्पोंडेंट संख्या-1 से
7 के झूठे तथ्यों के आधार पर दावा विधि विरुद्ध
स्वीकार कर डिक्री कर दिया । अपीलान्ट ने यह अपील
जानकारी से अन्दर मियाद एवं धारा-96 सीपीसी
के प्रार्थना पत्र के साथ पेशा की है । अतः अपील
अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार
कर अदालत मातहत का निर्णय ~~सही~~ निरस्त किया
जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

२०/२०११ सुनील कुमार — कदार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	<p>पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभावकगण सुनी गई । विद्वान अभिभावकगण उभयपक्षों ने अपील को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया । प्रकरण में उभयपक्षों के निवेदन पर अपील अपीलान्ट स्वीकार करना उचित मानते हैं । रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभावक ने भी कोई ऐतराज नहीं किया तथा अपीलान्ट को अदालत मातहत में पक्षकार नहीं बनाया गया जिसके कारण अपीलान्ट की अपील में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद में शुमार की जाकर प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत उप खण्ड अधिकारी घिडावा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-5-2005 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह दावे में अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का उभयपक्षों को समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 23-2-18 को उपस्थित हों ।</p> <p>निर्णय सुनाया गया ।</p> <p> शंवरलाल मेहरडा भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</p>	